भारत सरकार

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

सामान्य सेवाएं संगठन

संपदा अनुरक्षण प्रकोष्ठ

तारापुर

निविदाएं आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना संख्या बीएआरसी/जीएसओ (टी) /ईएमसी/सीएम/2010/10 दिनांक 23.07.10

भारत के राष्ट्रपति की ओर से निदेशक, सामान्य सेवाएं संगठन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र तारापुर व्दारा तारापुर में निम्नलिखित कार्य हेतु केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, रेल्वे, एमईएस की अनुमोदित सूची में उल्लिखित ठेकेदारों, और जिन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग में समरूप कार्य जैसे प्रसाधन देखरेख / हाऊस किपिंग का अनुभव हो निर्धारित प्रपत्र में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

निविदाकार दूरभाष क्रमांक (02525) 264414, (264415 से 264417) विस्तारित क्रमांक 3107, 3176 पर प्रभारी इंजिनियर ईएमसी, ईलेक्ट्रीकल से संपर्क कर सकते हैं ताकी उनके प्रवेश हेतु आवश्क व्यवस्थाएं की जा सकें । **निविदा हेतु आवेदन संवीक्षा हेतु संबंधित कागज पत्रों के साथ ईआईसी, ईएमसी, सिव्हील , भा.प.अ. केंद्र कॉलोनी, तारापुर (बोईसर) को दिनांक 30.07.2010 से 19.08.2010 तक प्रस्तुत करना होगा ।**

(I) **विवरण : भापअ केंद्र, कॉलनी, तारापूर में वर्ष 2009-2010 के लिए प्रसाधन देखरेख का काम ।**

(II) **अनुमानित लागत : रु. 58.00 लाख**

(III) **बयाना राशि : रु. 1,16,000.00**

टिप्पणी:- बयाना राशि **रु. 1,16,000.00** को भाग अ अर्थात तकनीकी बोली के खुलने के समय **पे अन्ड अकाउन्टस ओफिसर` प्रिफरी, बी.ए. आर. सी., तारापुर** के नाम जारी किसी अनुसूचित बैंक से खजाना चालान रसीद/कॉल रसीद पर जमा/अनुसूचित बैंक की आवधिक जमा रसीद/अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगा ।
बयाना राशि का एक भाग बैंक गारंटी के रूप में भी स्वीकार्य है। ऐसे मामलों में बयाना राशि का न्यूनतम 50% या रु.20 लाख, जो भी कम हो, उपर्युक्त निर्धारित रूप में होना चाहिए एवं शेष राशि **पे अन्ड अकाउन्टस ओफिसर` प्रिफरी, बी.ए. आर. सी., तारापुर** के नाम जारी किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार की जा सकती है ।

(IV) निविदा दस्तावेज का मूल्य : **रु. 1000.00 नकद (अप्रतिदेय)** ।

(V) समाप्ति की अवधि **: 12 (बारह) कैलेन्डर माह मानसून की अवधि सहित**

2A) निविदा कागज़ात नीचे परिच्छेद 3बी में बताये गये दस्तावेज़ प्रस्तुत कर दिनांक **2.08.2010** से **20.08.2010** तक उल्लिखित नकद राशि अदा करने पर प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे के बीच तथा दोपहर 14.00 बजे से 15.30 बजे के बीच किसी भी कार्यदिवस को निदेशक, जीएसओ, भा.प.अ. केंद्र डाक : घिवली - 401 502 के कार्यालय से खरिदे जा सकते हैं।
2B) जो निविदाकार डाक व्दारा कागज़ात मंगाना चाहते हैं वे अतिरिक्त 100 रू. डाक खर्च निविदा कागज़ात के मूल्य में जोंड़ दें। डाक व्दारा निविदा कागज़ात मंगाये जाने के मामले में मंगाने का अनुरोध निविदा शुल्क (डाक खर्च सहित) और नीचे परिच्छेद 3B) में बताये गये अन्य संबंधित कागज़ात सहित निविदा जारी हाने की अंतिम तारिख से पहले पहुँच जाना चाहिए। डाक व्यवस्था के कारण निविदा आवेदन समय पर प्राप्त न होने पर अथवा आवेदक व्दारा निविदा कागज़ात समय से न प्राप्त होने पर इस विलंब हेतु भा.प.अ. केंद्र (टी) की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

2C) बोली पूर्व सम्मेलन सभा सभी निविदाकारों के साथ दिनांक 27.08.2010 को समय 14.00 बजे गेस्ट हाऊस कान्फ्रेंस रूम में आयोजित की है ।

3A) निविदाएं सदैव मुहरबंद लिफ़ाफ़ों में रखी जानी चाहिए जिनके ऊपर कार्य का नाम लिखा हो तथा जो निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार मेनगार्ड हाउस सी.आई. एस.एफ. भा.प.अ. केंद्र संयंत्र स्थल डाक : घिवली 401 502 और सुरक्षा कार्यालय मेन गेट भा.प.अ.केंद्र, स्टाफ कॉलोनी तारापुर (बोईसर) 401 504 पर लगे निविदा बक्सों में प्राप्त की जाएंगी। निविदाएं डाक व्दारा भी भेजी जा सकती हैं परन्तु भावी बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे डाक परागमन में लगने वाले आवश्क समय का ध्यान रखें।

विभिन्न गतिविधियों हेतु तारिखें निम्नलिखित हैं जिनका सख्ती से पालन किया जायेगा और डाक के कारण होने वाली देरी के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

i) निविदाएं दिनांक **6.09.2010 और 7.09.2010** को प्रातः 10.00 से 16.00 बजे तक तथा दिनांक **8.09.2010** को प्रातः 10.00 बजेसे 15.00 बजे तक निदेशक जीएसओ, (टी) व्दारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उनके कार्यालय में खोली जायेंगी तथा स्वीकार किये जायेंगी। निविदाएं **8.09.2010** को 15.30 बजे उन निविदाकारों के समक्ष खोली जायेंगी जो खुलने के समय उपस्थित रहने के इच्छुक होंगें। यदी बेचने, प्राप्त करने अथवा निविदा खोलने की अंतिम तारिख पर कोई छुट्टी रहेगी तो संबंधित कार्य अगले कार्य दिवस पर किया जायेगा।

3B) निविदा की पात्रता - निविदा फार्म उन एजेन्सियों को जारी किया जायेगा जिन्होंने समरूप कार्य कम से कम **17,40,000/-**के मूल्य के 3 (तीन) कार्य अथवा 2 (दो) कार्य **29,00,000/-** मूल्य के अथवा **40,60,000/--**मूल्य का कार्य पिछले (7 वर्षों के भीतर) **31.12.09** से पहले संतोशजनक रुप से पूर्ण किया हो तथा जिसमें से कम से कम एक कार्य केंद्र सरकार /राज्य सरकार/केंद्र सरकार या /राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम//केंद्रीय स्वायत्त विकास के लिए किया गया हो। निविदाकार के निविदा आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें - (क) ठेकेदारों की उपयुक्त श्रेणी में पंजीकरण का प्रमाण (ख) प्राकिलक मूल्य का न्यूनतम **रू. 23,20,000/-** का बैंक शोधन क्षमता प्रमाणपत्र (ग) पिछले 3 वर्षों हेतु पंजीकृत चार्टर्ड

एकाउन्टेन्ट व्दारा न्यूनतम **रू. 17,40,000/-** का प्रसाधन देखरेख / हाऊस किपिंग कार्य का वार्षिक टर्नओवर प्रमाणपत्र (घ) पिछले 7 वर्षों गये कार्यों की सूची (च) निर्माण संयंत्र एवं मशीनों की सूची (छ) प्रस्तावित एवं अति रिक्त तक निकी स्टाफ की सूची, पिछले 7 वर्षों की वर्षानुसार पूर्ण/ जारी कार्य का मूल्य दर्शाने वाली सूची भी निविदा कागज़ातों के जारी होने पर निर्माण हेतु प्रस्तुत की जाये।

4) कार्य का पूरा करने का अनुमत समय कार्य शुरू करने के आदेश मिलने के 15 दिन के बाद से **बारह (12)** कैलेन्डर मास होगा।

5) निविदाए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र व्दारा निर्धारित प्रपत्र पर होगा। निविदाकारों का अपनी निविदा की गई दरे तथा धनराशि अंको तथा शब्दों में देनी चाहिए। प्रत्येक मद के लिए धनराशि का हिसाब लगाकर कुल धनराशि दी जानी चाहिए। सभी संशोधन निविदाकार के दिनांक सहित आध्याक्षरो व्दारा साक्ष्यांकित (Initial) किए जाएगे। जो निविदाकार निविदा कागज़ात खरिदने के बाद इस कार्य के लिए निविदा न देना चाहे, उन्हें निविदा कागज़ात एवं आरेख (ड्राइंग) निविदा को निर्धारित तिथि के पंद्रह दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में लौटाने होंगें तथापि टेंडर कागज़ातों की कीमत लौटाई नहीं जाएगी।

6) जब कोई ठेकेदार निविदा पर किसी भारतीय भाषा में हस्ताक्षर करता हैं तो कुल निविदा की धनराशि भी उसी भाषा में लिखी जानी चाहिए।

7) निम्नलिखित के बिना निविदाए स्वीकृत नहीं की जाएंगी।

अनुच्छेद में वर्णित बयाने की राशि के लिए केंद्रिय सरकार के लेखा शीर्ष `843 सिविल जमा बयाने की राशि जमा` में क्रेडिट किया गया लेखा अधिकारी अति रिक्त महालेखाकार (एस.डी.) महाराष्ट्र व्दारा समायोग्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया/स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रसीद चालान अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को काल रसीद अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ` पे अन्ड अकाउन्टस ओफिसर` प्रिफरी, बी.ए. आर. सी., तारापुर के नाम रेखांकित क्रास्ड डिमांड ड्राफ्ट।

नोट : बयाने की राशि जमा करने के लिए चेक तथा बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की जाएगी।

1. लोक निर्माण विभाग, केंद्रिय लोक निर्माण विभाग अथवा सैनिक इंजीनियरी सेवा व्दारा अनुमोदित ठेकेदारों की सूची में शामिल ठेकेदारों को तत्सबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा जिससे पता लगे कि यह ठेकेदारों के किस वर्ग में उपयुक्त और पात्र हैं।
2. वि धिमान्य आयकर शोधन प्रमाणपत्र।

8) जिस ठेकेदार निविदा स्वीकृत की जाएगी उसे अपने निविदा को विधिवत पूरा करके वसूल की जायेगी तथा निविदा भरने के समय जमा की गई बयाने की राशि 10% बराबर जमानत की धनराशि जमा करनी होगी जो धनराशि अधिकतम 5 लाख रूपये होगी।

जमानत की धनराशि ठेकेदारों के चालू बिलों की धनराशि में उपयुक्त दर पर कटौती करके वसूल की जाएगी तथा निविदा भरने के समय जमा की गई बयाने की राशि, जमानत की राशि का भाग समझी जाएगी। जमानत की राशि नकद रूप में भी ली जा सकती है, अथवा सरकारी जमानतों के रूप में सावधिक जमा रसीद अनुधित बैंकों अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैंक गारंटी के रूप में जमानत धनराशि ` पे अन्ड अकाउन्टस ओफिसर` प्रिफरी, बी.ए. आर. सी., तारापुर के पक्ष में भेजी जाएगी।

9) निविदा को स्वीकृत करने का अधिकार सामान्य सेवाएं संगठन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास सुर क्षित है वे सबसे कम मूल्य की निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है। उन्हें किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं का बिना कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार है वे सभी निविदाए अस्वीकृत कर दी जाएगी जिनमे निर्धारित शर्ते न पूरी हो गयी हो अथवा जो किसी भी दृष्टि से अपूर्ण होगी।

10) निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार के प्रचार के लिए सख्त पाबंदी हैं, जो ठेकेदार प्रचार करेगा उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।

11) सभी दरे केवल निविदा के निर्धारित प्रपत्र मे भरी जाएगी।

12) वह मद दर निविदा जिसमे कम/अधिक प्रतिशत होगा निश्चित रूप से अस्वीकृत कर दी जाएगी तथापी जहॉ निविदा कार अनुबाध्य अवधि में भुगतान कर ऐच्छिक रूप से छुट दे तो उस पर विचार किया जा सकता है।

13) निविदा अस्वीकृत हो जाने पर ठेकेदार के प्रस्तावित प्रतिनिधियो के बागों की सूचना प्रभारी इंजीनियर को दे दी जाएगी, जो प्रभारी इंजीनियर से निर्देश लेने के जिम्मेदार होंगें।

14) दरों का अंकों तथा शब्दों दोंनों में तथा राशियों में केवल अंकों में लिखने की विशेष सावधानी इस प्रकार बरता जाए कि के इसमे शक की गुंजाइश न रहे। कुल धनराशि अंकों तथा शब्दों दोंनों में लिखी जाए। अंकों में लिखने के मामले में शब्द `रूपये` की अंकों पहले तथा `पैसे` को दशमलव अंकों के बाद में लिखा जाए जैसे रूपये 1.15 पैस। शब्दों में लिखने के मामले में पहले `रूपये` शब्द तक अंत में पैसे शब्द लिखा जाए। जब तक पूर्ण रूपयों में अंकित दर के बाद केवल नहीं लिखा जाता वह दर दशमलव के दो स्थान तक बढ़ सकती है। जब मात्राओ की अनुसूचित मे दर अंकित की जाए तो `केवल` शब्द धनराशि के बिलकुल बाद मे लिखा जाए, दुसरी पंक्ति में नहीं।

15) राष्ट्रपति, न्यु नतम दर की निविदा को या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। समस्त निविदा अथवा निविदा के भाग की स्वीकार करने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है तथा निविदाकार अपने व्दारा दी गयी दर पर।

16) इस ठेके के संबंध में सामग्री पर बिक्री कर व अन्य कर ठेकेदार व्दारा देय होगे। इस संबंध में सरकार किसी प्रकार के किसी भी दावे को स्वीकार नहीं करेगी।

17) निर्माण कार्य हेतु निविदाएं, निविदा खुलने की तिथि से नब्बे दिन तक स्वीकृती के लिए खुली रहेगी। यदि कोई निविदाकार अविध से पहले निविदा वापस लेता है अथवा निविदा की शर्तों में ऐसे संशोधन करता है जो कि विभाग को मान्य न हो तो सरकार अन्य किसी अधिकार या कार्रवाई पर प्रतिकुल प्रभाव डालें बगैर संपूर्ण बयाना राशि की 50 % (पचास प्रतिशत) धनराशि को जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

18) ठेकेदार जिस कार्य के लिए निविदा दे रहे है/दे रहा है, उस कार्य की निविदाओ की गवाही वह स्वय नहीं देगे/देगा इस शर्त का पालन न किए जाने पर / ठेकेदारों / ठेकेदार व्दारा दी गई नि विदाए जिस पर उन्होंने / उसने गवाही दी थी अस्वीकृत कर दी जाएगी।

19) ठेकेदारों को बयाना जमा के भुगतान से छुट प्राप्त होने के विशेष मामले में निविदा के साथ निदेशक, जीएसओ, भा.प.अ. केंद्र, तारापुर के उस पत्र की एक साक्ष्यांकित प्रति संलग्न करनी होगी जिसके माध्यम से उन्हें बयाना/प्रतिभूति जमा के भुगतान से छुट मिली हो और मांगे जाने पर मूल पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

20) ठेकेदार जिस कार्य के लिए निविदा दे रहा हैं, इस कार्य की निविदा ओं के गवाह वे स्वयम नहीं हों गे। इस शर्त के पालन न किये जाने पर ठेकेदार/ ठेकेदारों व्दारा दी गई
नि विदाएं तथा वे नि विदाएं जिसके लिए उन्होंने गवाही दि थी अस्वीकृत कर दी जाएंगी।

21) निविदाकारों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे निविदा कागज़ात के सभी संघटक /भागों पर हस्ताक्षर करें।

22) निविदाकार व्दारा मद दर नि विदा में कोट की गई दरें अंको तथा शब्दों दोनों में भरी जायें ताकी किसी विसंगति की कोई संभावना न रहे। फिर भी दरों में यदि कोई विसंगति पायी जाती है तो ठेकेदार व्दारा निकाली गई राशि के अनुरूप दरों को सही माना जायेगा।

23) यदी निविदाकार व्दारा मद की राशि निकाली गयी अथवा यदी राशि अंकों व शब्दों में दी गई दरों से मेल नहीं खाती है तो ठेकेदार व्दारा दी गई दरों को सही माना जायेगा, न कि राशि को।

24) जहाँ निविदाकार व्दारा अंकों एवं शब्दों में प्रस्तुत दर मेल खा रहीं हों मगर राशि की गणना ठीक तरह से नहीं की गयी हो तो ठेकेदार व्दारा कोट की गई दर को सही माना जाएगा न कि राशि को।

25) ठेकेदार व्दारा चालू कार्यो की सूची निम्निलि खित प्रपत्र में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

क. सं.	कार्य का नाम	नाम तथा प्रभाग का विवरण जहाँ कार्य निष्पादित हो रहा है	राशि	चल रहे कार्य की स्थि ति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

26) निाविदाओं कों मोहरबंद लिफ़ाफ़ों में प्रस्तुत किया जाये जिस पर निम्निलि खित लिखा हो -

i) लिफ़ाफ़ा क्रमांक 1 : बयाना जमा
ii) लिफ़ाफ़ा क्रमांक 2 : निविदा कागज़ात

उपरोक्त दोनों लिफ़ाफ़ों को एक और लिफ़ाफ़े में मुहरबंद करके नि विदा आमंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाये।

27) निविदा खोलने वाले अधिकारी सर्वप्रथम ईएमडी को सुव्यव स्थित पाया गया तो अधिकारी आगे की कारवाई करते हुए निविदा खोलेगें। ईएमडी जमा न किये जाने के मामले में अथवा सुव्यव स्थित न होने पर नि विदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

(डॉ. जोस् पी. पनक्कल)
निदेशक, जीएसओ, भा.प.अ. केंद्र, तारापुर
भारत के राष्ट्रपति की ओर से तथा उनके लिये